संख्या-2/2023/जी-2-256(1)/दस-2023

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2023

विषयः- सामान्य भविष्य निधि में किसी भी अभिदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों के जमा सहित अधिकतम रू0 05 लाख का अभिदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

1152
05/04/2023

उप महालेखाकार/फण्ड कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा अपने पत्र संख्या-फण्ड-1/टी0 एण्ड एन0टी0/79568, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में लाते हुए कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 9D(2)(c)(i) के प्राविधान को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में एक वित्तीय वर्ष में अवशेषों की जमा सहित वार्षिक अभिदान की सीमा अधिकतम रू0 05 लाख निर्धारित कर दी गयी है, इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश की जानकारी चाही गयी है, क्योंकि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम कार्यालय द्वारा अपने जी0पी0एफ0 एप्लीकेशन/डेटाबेस में संशोधन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

2- आयकर नियमावली, 1962 के उपर्युक्त प्राविधान को ध्यान में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गयी है कि सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के अभिदाताओं के लिए भी तात्कालिक प्रभाव से एक वित्तीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्ष में अवशेषों की जमा सहित कुल अभिदान की सीमा अधिकतम रू0 05 लाख निर्धारित कर दी जाय।

3- सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के संगत नियमों में संशोधन किये जाने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-फण्ड-1/टी0 एण्ड एन0-टी0/79568, दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के संदर्भ में।
(3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।